

न्यायालय:- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला देवास (म0प्र0)

क्रमॉक-131/24

देवास दिनांक- 26.07.2024

::- विविध आदेश -::

मैं डॉ. रविकांत सोलंकी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, देवास म.प्र. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 15(2) के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए **माह अगस्त एवं सितम्बर, 2024** में आने वाले सार्वजनिक अवकाश में रिमाण्ड एवं अत्यावश्यक कार्य संपादन हेतु निम्नलिखित न्यायिक मजिस्ट्रेटगण को उनके न्यायालय कक्ष में सायं 3 से 5 बजे तक कार्य संपादित करने हेतु आदेशित करता हूँ :-

मुख्यालय देवास

क.	पीठासीन अधिकारी का नाम	अगस्त, 2024	सितम्बर, 2024
1	श्री नीलेन्द्र कुमार तिवारी, जे.एम.एफ.सी.	-	-
2	श्री कुँवर युवराजसिंह, जे.एम.एफ.सी.	25	7
3	सुश्री रश्मि खुराना जे.एम.एफ.सी.	11	1, 29
4	श्री प्रियांशु पाण्डे, जे.एम.एफ.सी.	4, 17	15
5	श्रीमती किरणसिंह, जे.एम.एफ.सी.	15	8, 17
6	श्रीमती रश्मि अभिजीत मरावी	18, 19	16, 22
7	श्री सौरभ जैन, जे.एम.एफ.सी.	20, 27	21

तहसील मुख्यालय सोनकच्छ

क.	पीठासीन अधिकारी का नाम	अगस्त, 2024	सितम्बर, 2024
1	श्रीमती स्वाति कुशल धारीवाल, जे.एम.एफ.सी.	04, 15, 17, 18,	7, 8, 21, 22
2	सुश्री निकिता पवार, जे.एम.एफ.सी.	11, 19, 20, 25, 27	1, 15, 16, 17, 29

तहसील मुख्यालय टोंकखुर्द

क.	पीठासीन अधिकारी का नाम	अगस्त, 2024	सितम्बर, 2024
1	श्री बुदेसिंह सोलंकी, जे.एम.एफ.सी.	04, 15, 17, 18	7, 8, 21, 22
2	सुश्री आयुषी श्रीवास्तव जे.एम.एफ.सी.	11, 19, 20, 25, 27	1, 15, 16, 17, 29

तहसील मुख्यालय बागली

क.	पीठासीन अधिकारी का नाम	अगस्त, 2024	सितम्बर, 2024
1	श्री राकेश कुमार जाटव, जे.एम.एफ.सी.	04, 15,	21, 22
2	श्रीमती सरिता पारस, जे.एम.एफ.सी.	11, 19,	15, 16,
3	श्रीमती वीणा अग्निहोत्री, जे.एम.एफ.सी.	20, 25, 27	17, 29
4	सुश्री आयुषी मालवीय, जे.एम.एफ.सी.	17, 18	1, 7, 8,

तहसील मुख्यालय कन्नौद

क.	पीठासीन अधिकारी का नाम	अगस्त, 2024	सितम्बर, 2024
1	श्रीमती मीना शाह, जे.एम.एफ.सी.	04, 15, 20	21, 22, 17
2	श्रीमती नंदिनी उईके, जे.एम.एफ.सी.	11, 19, 25	15, 16, 29
3	श्रीमती सोनाली शर्मा, जे.एम.एफ.सी.	-	-

4	श्री कुंदन कछवाह, जे.एम.एफ.सी.	17, 18, 27	1, 7, 8,
---	--------------------------------	------------	----------

तहसील मुख्यालय खातेगांव

क.	पीठासीन अधिकारी का नाम	अगस्त, 2024	सितम्बर, 2024
1	श्रीमती राधा उईके, जे.एम.एफ.सी.	15, 16, 27	21, 22, 29
2	श्री पंकज सविता, जे.एम.एफ.सी.	04, 11, 20	1, 7, 8
3	श्री राजू पन्द्रे, जे.एम.एफ.सी.	18, 19, 25	15, 16, 17

नोट:-

1. उपरोक्त वर्णित तिथियों में मजिस्ट्रेट, कर्मचारियों सहित दिन में 3 बजे से 5 बजे तक न्यायालय में कार्य संपादित करेंगे। किसी कारणवश उक्त कार्य संपन्न करने की असमर्थता की स्थिति में अथवा मुख्यालय छोड़ने की स्थिति में वे मुख्यालय अथवा तहसील में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट से चर्चा स्वयं करेंगे और मुख्यालय अनुमति मिलने पर वैकल्पिक व्यवस्था के संबंध में इस न्यायालय को सूचित करने के पश्चात ही मुख्यालय प्रस्थान करेंगे। मध्य में कोई शासकीय अवकाश घोषित होने पर उक्त दिवस का आकस्मिक कार्य मुख्यालय देवास में माह अगस्त में श्री सौरभ जैन, माह सितम्बर में श्री कुंवर युवराज सिंह जे.एम.एफ.सी., सोनकच्छ में माह अगस्त में सुश्री निकिता पवार जे.एम.एफ.सी., माह सितम्बर में श्रीमती स्वाति कुशल धारीवाल जे.एम.एफ.सी., टोंकखुर्द में माह अगस्त में सुश्री आयुषी श्रीवास्तव जे.एम.एफ.सी., माह सितम्बर में श्री बुदेसिंह जे.एम.एफ.सी., बागली में माह अगस्त में सुश्री आयुषी मालवीय जे.एम.एफ.सी., माह सितम्बर में श्रीमती वीणा अग्निहोत्री, जे.एम.एफ.सी., कन्नौद में माह अगस्त में श्री कुंदन कछवाह जे.एम.एफ.सी., माह सितम्बर में श्रीमती सोनाली शर्मा, जे.एम.एफ.सी. एवं खातेगाँव में माह अप्रैल में श्री राजू पन्द्रे, जे.एम.एफ.सी. माह मई में श्रीमती राधा उईके, जे.एम.एफ.सी. के द्वारा संपादित किया जावेगा। रिमांड अवधि में आकस्मिक स्थिति उत्पन्न होने पर संबंधित न्यायिक अधिकारी, के द्वारा सी.जे.एम. को लिखित सूचना दी जाकर अनुमति उपरांत ही रिमाण्ड ड्यूटी से विरत होंगे।

2. यदि कोई मजिस्ट्रेट ट्रेनिंग पर जाते हैं तो उक्त ट्रेनिंग अवधि में रिमांड ड्यूटी का प्रभार वैसे ही रहेगा जैसे उक्त मजिस्ट्रेट के अवकाश अवधि में जाते समय प्रभार में रहता है।

3. उक्त अवधि के दौरान किसी मजिस्ट्रेट का स्थानांतरण होने पर उक्त रिमाण्ड ड्यूटी का संपादन प्रभारी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा संपादित किया जावेगा।

(डॉ. रविकांत सोलंकी)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,

जिला देवास

देवास, दिनांक 26.07.2024

पृष्ठांकन कर्मकांड 376/2024

प्रतिलिपि :-

- 1- माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, देवास की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी देवास/सोनकच्छ/टोंकखुर्द/बागली/कन्नौद/खातेगाँव की ओर ई-मेल के माध्यम से सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
- 3- अध्यक्ष, अभिभाषक सघ देवास/सोनकच्छ/टोंकखुर्द/बागली/कन्नौद/खातेगाँव की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 4- सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय देवास की ओर आदेश की प्रति जिला स्थापना एवं तहसील स्थापनाओं में पदस्थ समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की ओर ई-मेल के माध्यम से भेजे जाने हेतु प्रेषित।

(डॉ. रविकांत सोलंकी)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,

जिला देवास